

सं. 32/2021

सरकार VI/5 गोपीलाल

3
5/22

पत्रावली पेश हुई। परोकार सरकार उप०। अप्रार्थी को जारी नोटिस पर तामिल कुलिन्दा द्वारा नोटिस की पुस्त पर अप्रार्थी गोपीलाल पुत्र प्रभुलाल फोट हो जाने की रिपोर्ट अंकित की गई है। अतः तामिल कुलिन्दा की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र 14(4) वापस लौटाया जाता है तथा तहसीलदार खण्डार को निर्देश दिये जाते हैं कि मृतक गोपीलाल के वारिसान की जाँच कर वारिसान के विरुद्ध पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलेक्टर
बल्लार

